

कार्यालय जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल

(संयुक्त कृषि मवन, प्रथम तल, नियर- निबंधन कार्यालय, प्रखंड परिसर, अरवल)

निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय अपर निदेशक (शष्प) बिहार, पटना के पत्रांक- कृ0प्र0कृ0सम0का0स्था0-04/2018-235/कृ0, पटना, दिनांक- 04.12.2018 के द्वारा पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय के स्थापना हेतु उपस्कर क्रय किया जाना है। इच्छुक प्रतिष्ठान निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदादाता एवं मान्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ता/निर्माता दो लिफाफा प्रणाली में मुहरबंद निविदा दिनांक- 27.02.2019 के पूर्वाह्न में जिला कृषि कार्यालय, अरवल के कार्यालय कक्ष के पता पर निबंधित डाक अथवा हाथों हाथ प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन अपराह्न 2:30 बजे उप विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी। जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।

उपस्कर / सामग्री का नाम :-

क्रम सं०	उपस्कर/सामग्री का नाम	संख्या	अधिकतम निर्धारित मूल्य
1.	टेबुल	65	5000.00 / अदद
2.	स्टील आलमीरा	65	18000.00 / अदद
3.	प्लास्टिक कुर्सी	65X5	3000.00 / अदद
4.	कार्यालय साईन बोर्ड	65 (4'X3')	1500.00 / अदद

निविदा की शर्तें :-

- वित्तीय निविदा में दर के साथ संबंधित उपस्कर का विशिष्टियाँ का विवरण/कंपनी का नाम अंकित करना अनिवार्य है।
- तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में जिसपर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अंकित हो, एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखते हुए मुहरबंद कर भेजना अनिवार्य होगा तथा लिफाफे के ऊपर वित्तीय/तकनीकी निविदा अंकित होगा।
- निविदादाता को अग्रधन राशि के रूप में तकनीकी संबंधी लिफाफा में दस हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल के पदनाम से देय हो संलग्न करना होगा।
- तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
- तकनीकी संबंधी लिफाफा में निविदादाता को (क) स्व-अभिप्रमाणित DIC के अधीन निबंधन प्रमाण पत्र, बिहार (ख) दुकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण पत्र, (ग) GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं (घ) पैन कार्ड तथा (ड) विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न फाईल करने की प्रति संलग्न करना होगा। साथ ही इसी लिफाफा में निविदादाता को (च) काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी नोटरी पब्लिक द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र देना होगा।
- समरूप पूर्व कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
- निविदादाता को सामग्री आपूर्ति के बाद ही सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान किया जाएगा।
- कार्यादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर उपस्कर/सामग्री की आपूर्ति करना अनिवार्य है।
- इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
- किसी भी निविदा को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति/अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

जिला कृषि पदाधिकारी
अरवल।

उप विकास आयुक्त,
अरवल।